न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 145/18–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

मंगरा तोपनो – विक्रेता

मरकुस कोनगाड़ी – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

05.10.18

आदेश

आवेदक मंगरा तोपनो पिता स्व0 कन्दरा तोपनो ग्राम–कमड़ा सेमरटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने मरकुस कोनगाड़ी पिता श्री सामुएल कोनगाड़ी ग्राम–कमड़ा सेमरटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
कमड़ा	69	148	2846	0.10

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0096670434 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 516 दिनांक 26.09.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम फिरंगी मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार फिरंगी मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 29.53 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 7.38 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–2017 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 3466.00(तीन हजार चार सौ छयासठ)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 7.28 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मंगरा तोपनो पिता स्व0 कन्दरा तोपनो को मरकुस कोनगाड़ी पिता श्री सामुएल कोनगाड़ी के साथ ग्राम कमड़ा के खाता सं0 148 खेसरा संख्या 2846 का कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 3466.00(तीन हजार चार सौ छयासठ)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।